प्रकरण संख्या 29/2017 गेहरीलाल बनाम मोहनलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.08.2018	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा उभयपक्ष की सुनी गयी बहस एवं रेकार्ड के अवलोकन से यह पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा स्थित आराजी 1419 रकबा 0.600 हैक्टर में उसका 1/4 हिस्सा होकर वह काबिज है। अतएवं जब तक भूमि का विधिवत बंटवाड़ा नहीं हो जाये तब तक उक्त भूमि के किसी भी हिस्से पर निर्माण कार्य नहीं किया जावे तथा किस्म परिवर्तित नहीं की जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखकर उभयपक्षों की उपस्थिति में विवादित आराजियात की मौके व रेकार्ड की यथास्थिति ताफैसला वाद बनाये रखने का निर्णय पारित किया, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपील इस आधार पर पेश की है कि अपीलान्ट 1/2 हिस्से का मालिक होकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 अनूपा के 1/4 हिस्से का क्रेता है एवं शेष 1/4 हिस्से पर प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का कभी कब्जा नहीं रहा तथा 1/4 हिस्से की रिलीज डीड से वह मालिक है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना है। → प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा कोई विधिक रिलीज डीड होना प्रस्तुत नहीं की गयी है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय ने युक्ति–युक्त रूप से मौके पर राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं, क्योंकि विधिक स्थिति यह होती है कि कोई रेकार्डेड सहखातदार है तो वह उक्त भूमि पर मूलवाद के निस्तारण तक किसी प्रकार का नया निर्माण नहीं करे तथा मौके पर कब्जे की यथास्थिति बनायी रखी जाना ही अस्थाई निषेधाज्ञा की विषय वस्तुत की अक्षुणता बनाये रखे जाने का ध्येय होता है, तदनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की उपस्थिति में मौके पर रेकार्ड की ताफैसला वाद	

यथास्थिति बनाये रखने के जो आदेश पारित किये हैं, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं, क्योंकि दौराने वाद यदि किसी प्रकार का नया निर्माण अथवा कब्जे बाबत् कोई नया विवाद पैदा होता है तो इससे अनावश्यक विवाद एवं मुकदमेबाजी बढ़ने की संभावना रहती है, तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.07.2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 29/2017 गेहरीलाल बनाम मोहनलाल व अन्य